तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता. अहकाम जो हुए की तामील में जारी हुए
29/5/25	अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी ने पत्रावली में संलग्न तहसीलदार देवली से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन कर बहस की प्रार्थना की, जिसे स्वीकार किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की। पेरोकार सरकार ने रिपोर्ट को ही बहस मानने की प्रार्थना की। पत्रावली व तहसीलदार रिपोर्ट का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 124 ख. नं. 1188, 1191, 1193, 1437, 1450, 2676, 2905 प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है व खाता संख्या 764 ख. नं. 1181 प्रार्थीगण की गैर खातेदारी भूमि वाके ग्राम चांदली में में स्थित है। उक्त आराजी पर प्रार्थीगण का आंशिक भूमि पर कब्जाकाश्त है अर्थात प्रार्थी का सम्पूर्ण विवादित आराजी पर कब्जाकाश्त नहीं है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 128 एल. आर. एक्ट के प्रावधानो के अनुसार न होने से अर्थात प्रार्थी का कब्जाकाश्त पत्थरगढी हेतु चाहे गये ख. नं. पर नहीं होने से व जिसका कब्जाकाश्त है, उसको पक्षकार नहीं बनाये जाने से प्रार्थना पत्र धारा 128 एल. आर. एक्ट खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी देवली (टोंक)	